25.04.2022

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा. पं. 10 टीके में पेश हुई। शिविर में रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा क्रमांक/भू.अ./21/915 दिनांक 18.11.2021 पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से चक 3 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 9 प.नं. 176/295 की कुल 6.200है. नहरी मय खाला भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता दीदार सिंह के तीन पुत्र अमरी सिंह, कुलवन्त सिंह व सुखदेव सिंह हैं। दिनांक 30.06.2020 को जमाबंदी निकलवाने पर मालूम हुआ कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश अमरीक सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह दर्ज हो गया हैं। अतः दुरूस्ती कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1–2 के पिता का नाम कुलवन्त सिंह की जगह दीदार सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1–2 के नोटिस तामील भाई पर हो जाने के बावजूद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं।

उपतहसीलदार मुकलावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चक 3 टीके जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 30 मु.नं. 9 की 6.200है. नहरी मय खाला में अमरीक सिंह 0.258है. सुखदेव सिंह 0.388है., कुलवन्त सिंह 0.388है. पि. दीदार सिंह जाति राजपूत सिख सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज हैं। जमाबंदी सेग्रीगेशन के दौरान कुलवंत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह. अमरीक पुत्र कुलवंत सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र कुलवत सिंह दर्ज हो गया। जमाबंदी संवत 2071–2074 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में कुलवन्त सिंह–अमरीक सिंह–सुखदेव सिंह पि. दीदार सिंह कोम राजपूत सिख शुद्धि की जानी उचित हैं। अत रिपार्ट उपतहसीलदार मुकलावा की अनुशंषा के आधार पर दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 3 टीके जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 33 की भूमि मु.नं. 9 प.न. 176/295 की कुल 6.200है. नहरी मय खाल के खातेदार अमरीक सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह के स्थान पर अमरीक सिंह पुत्र दीदार सिंह. कुलवन्त सिंह पुत्र दीदार सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र दीदाार सिंह की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प – 10 टीके

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested